Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

स्व वाद प्रकरण सं0 26/2017 अनवान प्रभुपुरी वगैरा बनाम नगरपालिका बाली जरिये अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका बाली अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
11.2018	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी श्री विजयराज चौधरी के जूनियर अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रतिवादी श्री मूलसिंह यादव उपस्थित। दोनो पक्षो के वकुलाय की बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रश्नगत प्रकरण में यह जाहिर हैं कि ग्राम बाली स्थित भूमि खसरा नंबर 1291 के खातेदार प्रभुपुरी पुत्र घीसुपुरी जाति गुसाई निवासी बाली ने अपने उक्त वादपत्र में यह वर्णित करते हुये सार्वकालिक निषेधाज्ञा की मांग की हैं कि नगरपालिका बाली द्वारा बाली स्थित भूमि खसरा नंबर 1290 गै.मु. रास्ता में जो सडक निर्माण का कार्य किया जा रहा हैं, वह निर्माण कार्य खसरा नंबर 1290 से बाहर खसरा नंबर 1291 की भूमि में किया जा रहा है। जिसको जरिये सार्वकालिक निषेधाज्ञा के रोका जावे। इसके विपरित नगरपालिका बाली की और से जो जबाव पेश किया गया हैं उस जबाव में एवं उनके अधिवक्ता श्री मूलसिंह यादव द्वारा यह दलील दी जा रही हैं कि नगरपालिका बाली द्वारा रोड खसरा नंबर 1290 गै.मु. रास्ता की भूमि में ही बनाया जा रहा है। जिससे वादी पक्ष का सार्वकालिक निषेधाज्ञा का वाद एवं प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। इस प्रकार उक्त प्रकरण में नगरपालिका, बाली द्वारा खसरा नंबर 1291 में किसी प्रकार के सडक निर्माण से इन्कार किया जा रहा है, इसके विपरित वादी पक्ष द्वारा खसरा नंबर 1290 गै.मु. रास्ता के लगती वादीगण की खातेदारी खसरा नंबर 1291 में नगरपालिका बाली द्वारा सडक निर्माण कराये जाने का आरोप लगाया जा रहा हैं। इस प्रकार उक्त प्रकरण में न्यायालय के निर्णय का कोई वाद बिन्दु ही नहीं हैं। क्योंकि वादीगण पक्ष का दावा हैं कि प्रतिवादी वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1291 में निर्माण कार्य करवा रहे है, इसके विपरित प्रतिवादी पक्ष का दावा हैं कि उनके द्वारा खसरा नंबर 1290 गै.मु. रास्ता के अतिरिक्त अन्य भूमि खसरा नंबर 1291 में किसी प्रकार की सडक का निर्माण नहीं कराया जा रहा हैं। इस प्रकार उक्त प्रकरण में दोनो पक्षो के मध्य माठ का विवाद प्रथम दृष्ट्या होना जाहिर हैं। जिस विवाद का निवारण उक्त वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के माध्यम से नहीं हो सकता हैं। अतः दोनों पक्षो के मध्य माठ विवाद के निवारण हेतु बाली स्थित भूमि खसरा नंबर 1291 जो कि वादीगण की खातेदारी भूमि हैं एवं खसरा नंबर 1290 जो कि रेकर्ड में गैर मुमकीन रास्ता दर्ज है, दोनो खसरो के मध्य की सीमाये राजस्व नक्शे अनुसार तय कर पत्थर गढी कराने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थर गढी हेतु नायब तहसीलदार, बाली के नेतृत्व में 02 निरीक्षक भू0अभिलेख व पटवारी हल्का, बाली के संयुक्त दल का गठन किया जाता हैं। नायब तहसीलदार, बाली को निर्देश दिये जाते हैं कि अपने दल के साथ मौके पर जाकर खसरा नंबर 1291 व खसरा नंबर 1290 की राजस्व नवशे अनुसार सीमा तय कर वादीगण व प्रतिवादी पक्ष की मौजुदगी में पत्थर गढी कर पालना से एक सप्ताह में अवगत करायेगे। अब प्रकरण में सार्वकालिक निषेधाज्ञा जारी करने हेतु न्यायालय के सामने कोई वाद बिन्दु ही नहीं होने से प्रकरण में कार्यवाही ड्रोप की जाती हैं। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। उपखण्ड़ अधिकारी, बाली	

Scanned by CamScanner